

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में घटित चोरी, लूट, अवैध शस्त्र की बरामदगी व वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गीडा के कुशल निर्देशन में उ0नि0 आलोक राय चौकी प्रभारी पिपरौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर मय हमराह थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 014/2023 धारा 376,323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल गौड़ उर्फ हर्ष गौड़ पुत्र रविन्दर गौड़ निवासी ग्राम धरमौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि उनके गाँव के ही राहुल गौड़ उर्फ हर्ष गौड़ पुत्र रविन्दर गौड़ निवासी ग्राम धरमौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर द्वारा उनके घर में घुसकर उनकी नातिनी के साथ बलात्कार किया तथा घर वालो द्वारा शिकायत करने पर अभियुक्त व उसके माता पिता द्वारा वादी मुकदमा के परिवार वालो से मारपीट किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 014/2023 धारा 376,323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राहुल गौड़ उर्फ हर्ष गौड़ पुत्र रविन्दर गौड़ निवासी ग्राम धरमौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 014/2023 धारा 376,323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गीडा गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 आलोक कुमार राय चौकी प्रभारी पिपरौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. का0 पंकज कनौजिया थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. का0 जय सिंह थाना गीडा जनपद गोरखपुर